

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2021—फाल्गुन 25, शक 1942

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2021

क्र. एफ 01-02-2020-ए-सोलह.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 6 और धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, शब्द तथा अंक "कारखाने का रजिस्ट्रीकरण करके दस या अधिक वर्षों जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऑन लाईन प्ररूप 3 में", के स्थान पर, शब्द तथा अंक "कारखाने का रजिस्ट्रीकरण करके दस वर्ष तक की अवधि के लिए या अधिक वर्षों जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऑन लाईन प्ररूप 3 में" स्थापित किए जाए.

No. F. 01-02-2020-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, namely:—

AMENDMENT

In the said rule, in rule 6, in sub-rule (2), for the words and figure "register the factory and grant a licence online in from No. 3 for ten years or more as may be prescribed by the State Government", the words and figure "register the factory and grant a licence online in from No. 3 for a period upto ten years or more as may be prescribed by the State Government" Shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

छोटे सिंह, उपसचिव.